भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2835

(दिनांक 05.08.2026 को उत्तर देने के लिए)

पायरेटेड फिल्में

2835. श्री बालाशौरी वल्लभनेनीः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार टेलीग्राम पर दिखाई जा रही पायरेटेड फिल्मों, ओवर-द-टॉप (ओटीटी) शो और अन्य श्रव्य-दृश्य सामग्री की समस्या से किस प्रकार निपट रही है;

(ख) क्या टेलीग्राम को अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग बाल यौन शोषण सामग्री, नौकरी से जुड़े नकली विज्ञापनों, साइबर धोखाधड़ी और पायरेटेड सामग्री के प्रसार के लिए करते हुए पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा टेलीग्राम और इसी तरह के अन्य प्लेटफॉर्मों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ग): सरकार ने टेलीग्राम जैसे मध्यस्थों के माध्यम से फिल्मों के अनधिकृत प्रसार सहित चलचित्र फिल्मों की ऑनलाइन पायरेसी से निपटने के लिए विधिक एवं संस्थागत ढाँचे को सुदृढ़ किया है। चलचित्र अधिनियम, 1952 में चलचित्र (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से संशोधन कर फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग एवं प्रदर्शन पर अंकुश लगाने के लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए। नवःप्रविष्ट धारा 7(1ख)(ii), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3) के अंतर्गत, सरकार को पायरेटेड सामग्री होस्ट करने वाले मध्यस्थों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करती है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(ख) में विधि-विरुद्ध सामग्री को हटाने अथवा उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए समुचित सरकार द्वारा मध्यस्थों को अधिसूचना जारी करने का प्रावधान है। सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के अंतर्गत मध्यस्थों के लिए यह आवश्यक है कि वे तत्समय प्रवृत्त किसी कानून का उल्लंघन करने वाली सामग्री को, जब वह उनके संज्ञान में न्यायालय के आदेश या समुचित सरकार या उसकी अधिकृत एजेंसी द्वारा सूचना के माध्यम से लाई जाती है, हटा दें।

फिल्मों की पायरेसी के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर मंत्रालय मध्यस्थों को अतिलंघनकारी सामग्री को शीघ्र हटाने अथवा उस तक पहुंच को अक्षम करने के निर्देश देते हुए अधिसूचनाएं जारी करता है। सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (फिल्म) को सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 तथा चलचित्र अधिनियम, 1952 के अंतर्गत मध्यस्थों को सामग्री हटाने संबंधी नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत किया है। इंटरनेट पर उपलब्ध फिल्मों की पायरेटेड प्रतियों के संबंध में कॉपीराइटधारकों से शिकायतें प्राप्त करने तथा ऐसी सामग्री तक पहुंच को अक्षम करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचनाएं जारी करने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक संस्थागत तंत्र भी स्थापित किया गया है।

पायरेसी-रोधी कार्रवाई

उपर्युक्त विधिक प्रावधानों के अनुसार, मध्यस्थों को फिल्म पायरेसी से संबंधित 7,393 यूआरएल, जिनमें 1,263 वेबसाइटें और 4,996 टेलीग्राम चैनल शामिल हैं, को निष्क्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं।
